



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ 1945 (श0)

(सं0 पटना 474) पटना, बृहस्पतिवार, 15 जून 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

15 जून 2023

एस० ओ० 222, दिनांक 15 जून, 2023—बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-10 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं० एस०ओ० 191 दिनांक 08.12.2020 के प्रभावी होने की तिथि 01.07.2023 अधिसूचित की जाती है।

[(सं०सं०-6 / वि०पत्रा०-24-09 / 2020-1984)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

15 जून, 2023

एस० ओ० 222, दिनांक 15 जून, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-6 / वि०पत्रा०-24-09 / 2020-1984)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 15<sup>th</sup> June 2023*

S.O. 222, Date 15<sup>th</sup> June 2023--Under sub-Section(2) of Section-10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the effective date of departmental notification S.O. 191 dated 08.12.2020 is notified as dated 01.07.2023.

[(File No. 6/Vi. Patra-24-09/2020-1984)]

By the order of Governor of Bihar,  
Dr. Pratima,  
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 474-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>